न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 1129A / 2021
ऑनलाईन नम्बर 2021 / 278 — निर्णय दिनांकः 15.10.2025

काशीराम पुत्र गोपाराम जाति ब्राह्मण निवासी देराजसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रार्थी —

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र गोपाराम जाति ब्राह्मण निवासी देराजसर तहसील श्रीडूंगरगढ़।
2. स्व. गजानन्द पुत्र गोपाराम जाति ब्राह्मण निवासी देराजसर तहसील श्रीडूंगरगढ़।

2/1 गुड्डी देवी पत्नी स्व. गजानन्द जाति ब्राह्मण निवासी देराजसर तहसील श्रीडूंगरगढ़।
2/2 अभिषेक पुत्र स्व. गजानन्द
2/3 कानाराम पुत्र स्व. गजानन्द
2/4 सोनू पुत्री स्व. गजानन्द

(2/2 से 2/4) नाबालिक जरिये अपनी कुदरतवली माता गुड्डी देवी पत्नी स्व. गजानन्द जाति ब्राह्मण निवासी देराजसर तहसील श्रीडूंगरगढ़।

3. चान्दरतन
4. दुर्गादत्त
5. भागीरथ
6. लक्ष्मीनारायण
7. भंवरी देवी
8. सुशीला देवी

(3 से 8) पुत्रगण / पुत्रियां गोपाराम जाति ब्राह्मण निवासीगण देराजसर तहसील श्रीडूंगरगढ़

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अप्रार्थीगण—

1. श्री मांगीलाल नैण अभिभाषक प्रार्थी।
2. श्री बाबूलाल दर्जी अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1, 3 ता 8 व 2/1 ता 2/4
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा निम्नलिखित आधारों पर सादर प्रस्तुत है कि प्रार्थी ने उपरोक्त अनुवानी दावा न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है जिसमें सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 एवं उनकी माता स्व. रूखमादेवी की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 11 तादादी 5.00 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 18 तादादी 2.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 322 तादादी 5.96 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 377 तादादी 3.47 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 481 तादादी 4.10 हैक्टेयर वाकेरोही देराजसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 की माता श्रीमती रूखमादेवी की अकेली की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 247 तादादी 4.55 हैक्टेयर वाकेरोही नारसीसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 की माता रूखमादेवी का स्वर्गवास दिनांक 17.11.2021 को हो चुका है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 की माता रूखमादेवी की मृत्यु पश्चात् वादगत खेतों में प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 ता 8 प्रत्येक का 1/9 हिस्सा निश्चित हो गया है क्योंकि स्व. रूखमादेवी के प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 के अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं है। खेत खसरा नम्बर 11 तादादी 5.00 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 18 तादादी 2.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 322 तादादी 5.96 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 377 तादादी 3.47 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 481 तादादी 4.10 हैक्टेयर वाकेरोही देराजसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी व

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:17:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

अप्रार्थी सं. 1 ता 8 का प्रत्येक का 1/10, 1/10 हिस्सा दर्ज है। 1/10 हिस्सा स्व. रूखमादेवी के नाम दर्ज है तथा खसरा नम्बर 247 तादादी 4.55 हैक्टेयर वाकेरोही नारसीसर की खातेदारी स्व. रूखमादेवी के नाम से है। रूखमादेवी की मृत्यु पश्चात् उपरोक्त खेतों में प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 ता 8 प्रत्येक का 1/9 हिस्सा निहित हो चुका है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 ने उपरोक्त खेतों का आपसी मौखिक तौर से अपने अपने हिस्से का विभाजन कर रखा है । मुताबिक हिस्सा पांति के प्रार्थी के हिस्से में खेत खसरा नम्बर 11 तादादी 5.00 हैक्टेयर में उतरी तरफ का 1/9 हिस्सा, खसरा नम्बर 18 तादादी 2.19 हैक्टेयर में उतरी तरफ का 1/9 हिंस्सा, खसरा नम्बर 322 तादादी 5.96 हैक्टेयर में उतरी तरफ का 1/9 हिस्सा खसरा नम्बर 377 तादादी 3.47 हैक्टेयर में पूर्वी तरफ का 1/9 हिस्सा, खसरा नम्बर 481 तादादी 4.10 हैक्टेयर में पूर्वी तरफ का 1/9 हिस्सा व खेत खरा नम्बर 247 तादादी 4.55 हैक्टेयर वाकेरोही नारसीसर में प्रार्थी का उतरी तरफ का 1/9 हिस्सा हिस्से पांति में आया हुआ है जिस पर प्रार्थी का कब्जा, काश्त व उपयोग उपभोग चला आ रहा है। वादगत खेतों का मौका पर आपसी तौर पर विभाजन किया हुआ है परन्तु वादगत खेतों का अभी तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं किया हुआ है । वादगत खेतों की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में संयुक्त चली आने से प्रार्थी को अपने हिस्से की भूमि में सुधार कार्य करवाने, ट्यूब वैल बनाने, बैंक आदि से ऋण लेने में काफी परेशानी आती है । प्रार्थी वादगत खेतों में अपने 1/9 हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाकर प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 में वर्णितानुसार विभाज़न करवाना चाहता है । प्रार्थी ने दिनांक 01.12.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 को उनकी माताजी के स्वर्गवास हो जाने के बाद वादगत खेतों का मौका पर कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन कर अलग अलग खातेदारी दर्ज करवाने व अलग अलग लगान कायम करवाने का निवेदन किया तो अप्रार्थीगण साफ तौर से इन्कार हो गये व अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को यह धमकी भी दी कि हम वादगत खेतों का कोई विभाजन नहीं करवायेंगे व वादगत खेतों का विभाजन करवाये बिना ही किसी अजनबी व्यक्ति को विक्रय, हस्तान्तरण कर देंगे व आज के बाद वादगत खेतों पर जो तुम्हारा मौके पर कब्जा काश्त है उससे बेदखल कर देंगे व खेतों में प्रवेश नहीं करने देंगे, तब प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को काफी समझाया लेकिन अप्रार्थीगण प्रार्थी की बात मानने से साफ तौर से इन्कार हो गये, ऐसी स्थिति में प्रार्थी के पास वादगत खेतों के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाये जाने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचा है। वादगत कृषि भूमि प्राथी की खातेदारी व पैतृक सम्पति होने से व प्रार्थी का वादगत खेतों में 1/9 हिस्सा पर कब्जा काश्त चले आने से प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है । अप्रार्थी सं. 1 ता 8 वादगत खेतों का विधिवत रूप से विभाजन करवाये बिना किसी अजनबी व्यक्ति को विक्रय, हस्तान्तरण कर देना चाहते है तथा प्रार्थी को उसके कब्जा काश्त से बेदखल करने पर आमादा हो रहे है। अप्रार्थी सं. 1 ता 8 ने वादगत खेतों को विक्रय, हस्तान्तरण करने की दिनांक 01.12.2021 को धमकी दी है। अगर अप्रार्थीगण अपने गलत मन्सूबों में सफल हो गये तो प्रार्थी को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा, इस प्रकार अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित फरमाया जावे कि वो वादगत वादगत खेत खसरा नम्बर 11 तादादी 5.00 हैक्टेयर,

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:17:10 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

खसरा नम्बर 18 तादादी 2.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 322 तादादी 5.96 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 377 तादादी 3.47 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 481 तादादी 4.10 हैक्टेयर वाकेरोही देराजसर व खसरा नम्बर 247 तादादी 4.55 हैक्टेयर वाकेरोही नारसीसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ स्थित भूमि को विधिवत रूप से विभाजन करायें बिना किसी को रहन, बैय या दीगर तरीके से मुन्तकिल नहीं करें ना ही वादग्रस्त खेतों में प्रार्थी के 1/9 हिस्सा भूमि में हस्तक्षेप करें ना ही प्रार्थी के कब्जो काश्त में किसी प्रकार की दखल देंवे, ना ही ऐसा कोई कृत्य अथवा अपकृत्य करें जिससे प्रार्थी के वैध अधिकारों पर विपरीत असर पड़ता हो । अप्रार्थीगण तादावा फैसला मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1, 3 ता 8 व 2/1 ता 2/4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस करतें हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर तादावा फैसला मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थीगण संख्या-1, 3, 4, 5, 6, 7 व 8 के अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि प्रार्थना वर्णित तथ्य राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज होना स्वीकार हैं। वादगत खेतो का प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 के मध्य कतई मौखिक रूप से विभाजन नही हुआ हैं । प्रार्थी व अप्रार्थीगण वादगत खेतो को अदल–बदल कर काश्त कर रहे है। वादगत खेतो का हिस्सा पांती नही हुआ है, इसलिए प्रार्थी द्वारा बतायेनुसार कब्जा होने का प्रश्न ही पैदा नही होता हैं। वादगत खेतो का विभाजन नही हुआ है, प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को वादगत खेतो के विभाजन के लिए कभी भी नही कहा था। इस कारण वादगत खेतो की खातेदारी संयुक्त चली आ रही हैं। प्रार्थी ने बिना किसी युक्तियुक्त कारण के उक्त दावा/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाद बहुल्ता का बढ़ावा दिया हैं। अप्रार्थीगण ने वादगत खेतो के विभाजन के लिए कभी भी मना नही किया हैं । प्रार्थी व अप्रार्थीगण की माता की मृत्यु के बाद वादगत खेतो का रूखमादेवी के नाम हिस्सा की खातेदारी रूखमादेवी जायज वारिसानो के नाम विरास्तन दर्ज हो जाती, परन्तु प्रार्थी ने बिना किसी युक्तियुक्त कारण के उक्त दावा/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्थगन प्राप्त कर लिया, इस कारण वादगत खेतो का इंतकाल रूखमादेवी की मृत्यु के बाद दर्ज नही हुआ। प्रार्थी ने इस मद में बिना किसी आधार के ही घोषणात्मक अनुतोष चाहा हैं । वादगत खेतो का हिस्सा पहले से ही घोषित है, इसलिए घोषणात्मक अनुतोष का कोई औचित्य ही नही हैं। प्रार्थी दिनांक 01.12.2021 को ना तो अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 से मिला ना ही कभी खाता विभाजन के लिए निवेदन किया। प्रार्थी ने इस मद में काल्पनीक दिनांक वर्णित की है, वह अप्रार्थीगण से मिला ही नही ऐसी स्थिति में धमकी दिये जाने का प्रश्न ही पैदा नही होता हैं। प्रार्थी का मौका पर कतई कोई कब्जा काश्त नही हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा संतुलन का सिद्धान्त व अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में ना होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में बनता हैं । फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य हैं । अप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:17:10 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

संख्या 2 गजानन्द की मृत्यु दिनांक 17.05.2022 को हो चुकी हैं। अप्रार्थी संख्या 2 की मृत्यु हो करीब 24 माह से अधिक समय हो चुके है, अप्रार्थी संख्या 2 प्रार्थी का सगा भाई है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 2 के वारिसानो को आजतक रिकार्ड पर नही लिया हैं। प्रार्थी का दावा/प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 2 की मृत्यु के 90 दिन बाद स्वतः ही अबैट हो चुका हैं। अप्रार्थी संख्या 1 व 3 ता 8 वादगत खेतो के रिकॉर्डेड व काबिज खातेदार कृषक हैं। अप्रार्थी संख्या 1, 3, 4, 5, 6, 7 व 8 व अप्रार्थी संख्या 2 के वारिस गुड्डीदेवी, अभिषेक, सोनू व कन्हैयालाल का वादगत खेत खसरा नम्बर 11 तादादी 5.00 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 18 तादादी 2.19 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 322 तादादी 5.96 हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर 377 तादादी 3.47 हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर 481 तादादी 4.10 हैक्टेयर रोही मौजा देराजसर में माता रूखमादेवी की मृत्यु के बाद प्रार्थी व अप्रार्थीगण प्रत्येक का 1/9 हिस्सा व खेत खसरा नम्बर 247 तादादी 4.55 हैक्टेयर रोही मौजा नारसीसर में माता रूखमादेवी की प्रार्थी व अप्रार्थीगण प्रत्येक का 1/9 हिस्सा भूमि निहित हैं। अप्रार्थीगण की मृत्यु के बाद प्रत्येक वादगत खेतो के प्रत्येक इंच पर कब्जा है। वादगत खेतो के खातेदारो के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स खाता विभाजन किया जाता है, तो कोई आपति नही हैं एवं प्रार्थी प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया एवं अपनी बहस के समर्थन में माननीय बोर्ड ऑफ रेवन्यू राजस्थान अजमेर के न्यायिक दृष्टान्त आरएलडब्ल्यू(1) आरजे करमजीतकौर बनाम गुरूदीप सिंह वगै. पृष्ठ संख्या 483 से 486 पेश की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 2/1 ता 2/4 के अधिवता ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज होना स्वीकार हैं। वादगत खेतो का प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 के मध्य कतई मौखिक रूप से विभाजन नही हुआ हैं। प्रार्थी ने गलत तथ्यों का वर्णन किया हैं । प्रार्थी का वर्णितानुसार कतई कब्जा, काश्त नही हैं। प्रार्थी व अप्रार्थीगण वादग्रत खेतो को अदल-बदल कर काश्त कर रहे है । वादगत खेतो का हिस्सा पांती नही हुआ है, इसलिए प्रार्थी द्वारा वर्णित खेतो में प्रार्थी द्वारा बतायेनुसार कब्जा होने का प्रश्न ही पैदा नही होता हैं। वादगत खेतो का विभाजन नही हुआ है, प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को वादगत खेतो के विभाजन के लिए कभी भी नही कहा था। इस कारण वादगत खेतो की खातेदारी संयुक्त चली आ रही हैं। प्रार्थी ने बिना किसी युक्तियुक्त कारण के उक्त दावा/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाद बहुल्ता का बढ़ावा दिया हैं। अप्रार्थीगण ने वादगत खेतो के विभाजन के लिए कभी भी मना नही किया हैं। प्रार्थी व अप्रार्थीगण की माता की मृत्यु के बाद वादगत खेतो का रूखमादेवी के नाम हिस्सा की खातेदारी रूखमादेवी जायज वारिसानो के नाम विरासतन दर्ज हो जाती, परन्तु प्रार्थी ने बिना किसी युक्तियुक्त कारण के उक्त दावा/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्थगन प्राप्त कर लिया, इस कारण वादगत खेतो का इंतकाल रूखमादेवी की मृत्यु के बाद दर्ज नही हुआ । प्रार्थी ने इस मद में बिना किसी आधार के ही घो[illegible] वादगत खेतो का हिस्सा पहले से ही घोषित है, इसलिए घोषणात्मक अनुतोष [illegible] औचित्य ही नही हैं। प्रार्थी दिनांक 01.12.2021 को ना तो अप्रार्थी [illegible] ता 8 से [illegible] ना ही कभी खाता विभाजन के लिए निवेदन किया। प्रार्थी ने इस [illegible] वर्णित की हैं। प्रार्थी, अप्रार्थीगण से मिला ही नही ऐसी स्थिति में धमकी दिये [illegible] का प्रश्न ही पैदा नही होता.

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:17:10 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

हैं। प्रार्थी का मौका पर कतई कोई कब्जा काश्त नही हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा संतुलन का सिद्धान्त व अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में ना होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में बनता फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य हैं। अप्रार्थी संख्या 2 गजानन्द की मृत्यु दिनांक 17.05.2022 को हो चुकी हैं। अप्रार्थी संख्या 2 की मृत्यु हो करीब 24 माह से अधिक समय हो चुके है, अप्रार्थी संख्या 2 प्रार्थी का सगा भाई है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 2 के वारिसानो को आजतक रिकार्ड पर नही लिया हैं। प्रार्थी का दावा/प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 2 की मृत्यु के 90 दिन बाद स्वतः ही अबैट हो चुका हैं। अप्रार्थीगण वादगत खेतो के रिकॉर्डेड व काबिज खातेदार कृषक हैं। अप्रार्थीगण का वादगत खेत खसरा नम्बर 11 तादादी 5.00 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 18 तादादी 2.19 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 322 तादादी 5.96 हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर 377 तादादी 3.47 हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर 481 तादादी 4.10 हैक्टेयर रोही मौजा देराजसर में माता रूखमादेवी की मृत्यु के बाद प्रार्थी व अप्रार्थीगण प्रत्येक का 1/9 हिस्सा व खेत खसरा नम्बर 247 तादादी 4.55 हैक्टेयर रोही मौजा नारसीसर में माता रूखमादेवी की मृत्यु के बाद प्रार्थी व अप्रार्थीगण प्रत्येक का 1/9 हिस्सा भूमि निहित हैं । अप्रार्थीगण प्रत्येक वादगत खेतो के प्रत्येक इंच पर कब्जा हैं । वादगत खेतो के खातेदारो के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस खाता विभाजन किया जाता है, तो कोई आपति नही हैं एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया एवं अपनी बहस के समर्थन में माननीय बोर्ड ऑफ रेवन्यू राजस्थान अजमेर के न्यायिक दृष्टान्त आरएलडब्ल्यू(1) आरजे करमजीतकौर बनाम गुरूदीप सिंह वगै. पृष्ठ संख्या 483 से 486 पेश की गई।

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त अराजी भूमि शामलाती भूमि है। प्रार्थी द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे यह प्रतीत होता हो कि विवादित अराजी को खुर्द–बुर्द किया जा रहा है। चूंकि- अप्रार्थीगण भी सहखातेदार है। संयुक्त खाते की भूमि में समस्त अंशधारी पूर्ण भूमि पर काबिज होते है, अतः उनमें से किसी एक को-अस्थाई निषेधाज्ञा से नहीं रोका जा सकता। अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा की वजह से विरासतन नामान्तरण दर्ज नहीं हो पा रहा है। उक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में बनना साबित नहीं होता है। लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 15.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:17:10 IST
Reason: SelfAttested

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)